न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :- 67 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जूंजाराम पुत्र भगाराम उम्र 62 वर्ष 2. श्रवणकुमार पुत्र जुझाराम उम्र 40 वर्ष जातियान मेघवाल निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. तैनाराम पुत्र खेराजराम उम्र 45 वर्ष 2. कंवराराम पुत्र केशाराम उम्र 35 वर्ष 3. पेपोंदेवी पत्नि केशाराम उम्र 60 वर्ष 4. हड़मानराम पुत्र केशाराम उम्र 30 वर्ष चुनीदेवी पुत्री मेहराराम उम्र 35 वर्ष 5. जातियान मेघवाल निवासी सरेली की ढाणी, डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूका भगतसिंह 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 7 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 30.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है, कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 531 रकबा 36.1785 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सरेली कीढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा जो प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा तथा विप्रार्थी सं[illegible] 1/4 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 प्रत्येक का 1[illegible] खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी [illegible] है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग –अलग हिस्से दर्ज है [illegible] इसी हिस्सो मे माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है। परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी[illegible] के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

या निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सडक मार्ग तक नही जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा किया हुआ नही है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पडता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा मे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से सडक मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सडक मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोडकर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा सड़क किनारे विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण आदि करने पर प्रयासरत है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 531 रकबा 36.1785 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दंखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेंदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जायें।

हमनें प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 531 रकबा 36.1785 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सरेली कीढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का [illegible] प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का [illegible] 4 [illegible] तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 प्रत्येक का 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 [illegible] अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड [illegible] है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग –अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हि[illegible] में माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है। परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है के सन्दर्भ में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थी द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी स्वंय द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा ? ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:27 IST
Reason: SelfAttested